

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ण अनदेखी कर मनमाना निर्णय पारित किया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांत की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। जवाब में अंकित किया गया है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.09.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह भूमि पर बसी हुई आबादी को अवैध माना है अर्थात् चारागाह भूमि पर बसी आबादी का सैट अपार्ट न करने हेतु निर्देशित किया गया है जबकि अप्रार्थी ने मकान एवं चारदिवारी बनाकर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः विचाराधीन अपील/स्थगन आदेश को खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांत निर्धारित तारिख पेशी पर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांत द्वारा ग्राम जीलों के खसरा नम्बर 2197 रकबा 3.60 है० किस्म चारागाह में से 0.02 है० पर मकान व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांत को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांत द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांत का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः राजकीय भूमि (चारागाह) पर मकान व चार दिवारी बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 11.09.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलेक्टर, सीकर
20/8/19

Web Copy - Not Official